भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

निम्नलिखित प्रारूप भर्ती नियमों, जिन्हें केंद्र सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक (सर्तकता) के नव-सृजित पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाने का प्रस्ताव रखा है, को इनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद, उपर्युक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हुई आपत्तियों तथा सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

किसी भी तरह की आपत्तियाँ एवं सुझाव अवर सचिव (औषध), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारुप नियम

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –</u> (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय, निदेशक, (सतर्कता) भर्ती नियम, 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. <u>प्रयोज्यता</u> : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. <u>पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-</u> पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. <u>भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-</u> भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. <u>निरर्हता:</u> वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।
1	2	3	4	5
1. निदेशक (सतर्कता)।	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन बैड-4, 37400-67000/-रु. और ग्रेड वेतन 8700/-रु.।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
6	7	8	9
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धतिः	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती	यदि	भर्ती करने में

भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधीन अधिकारी:- क. (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3 में 15600-39100/-रु. और ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और ख. किसी संगठन में उत्तरदायी/पर्यवेक्षी पद पर सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी कार्य संभालने का कम से कम तीन वर्ष का विशेष अनुभव रखते हों:- वांछनीय : सतर्कता मैनुअल में निर्धारित सरकारी नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं और सीवीसी के अनुदेशों की जानकारी।	लागू नहीं होता ।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

	टिप्पणी 1:- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2:- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(फा. सं. ए-11013/1/2014-डीएफक्यूसी)

रामगोपाल सिंह

(आर. जी. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23063019